राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(आई–38)आईडब्ल्यूएमपी / 2009–10 / 407–71 दिनांक : 18/5/10

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त जिला परिषद (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त)

विषय :– जलग्रहण समिति के गठन हेतु विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– निदेशालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 78–248 दिनांक 28.4.2010 एवं 264–296 दिनांक 11.5.2010

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपको वर्ष 2009–10 में आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में ग्राम पंचायतवार जलग्रहण समिति के गठन तथा जलग्रहण समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के 31.5.2010 तक चयन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये थे। जलग्रहण परियोजनावार गठित जलग्रहण समिति के गठन की प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि अभी भी काफी संख्या में जलग्रहण समितियों का गठन नहीं हो पाया है। जलग्रहण समितियों के गठन के अभाव में परियोजनान्तर्गत उपलब्ध राशि का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जलग्रहण परियोजनाओं में अभी तक जिन ग्राम पंचायतों में जलग्रहण समितियों का गठन नहीं हुआ है, उन ग्राम पंचायतों में माह जून, 2010 के प्रथम पखवाड़े में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जावें। ग्राम पंचायत क्षेत्र से सम्बन्धित स्थानीय जन प्रतिनिधियों यथा सरपंच, वार्डपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों, प्रधान, जिला प्रमुख, स्थानीय विधायक एवं सांसद को भी ग्रामसभा आयोजन की तिथि से सूचित किया जावें तथा सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा किये जावें तथा स्थानीय स्तर पर भी ग्रामसभा के आयोजन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें, ताकि जलग्रहण समिति के गठन में पारदर्शिता रहे।

माह जून 2010 के प्रथम पखवाड़े में आयोजित ग्रामसभा में जलग्रहण समितियों के गठन के उपरान्त अविलम्ब गठित समितियों की सूचना से निदेशालय को अवगत कराया जावें।

निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई–38)आईडब्ल्यूएमपी / 2009–10 / 407–71 दिनांक : 18/5/10

1. समस्त परियोजना प्रबन्धक एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन), जिला परिषद (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त)

निदेशक